ए.

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 7939)

बी.

अक्टूबर 04,2019

[अरुण मिश्रा**,** एम**.** आर**.** शाह और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियम-स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थागत आरक्षण/वरीयता प्रदान करना-एन. ई. ई. टी. योजना शुरू होने के बाद चिकित्सा परिषद अधिनियम और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई याचिका-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःकुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत तक संस्थागत वरीयता/आरक्षण की अनुमति है-एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत इस तरह की वरीयता को प्रभावित नहीं करेगी-इसलिए संस्थागत वरीयता/आरक्षण के लिए प्रावधान करने वाले नियम एस के अधिकार से बाहर नहीं हैं।10 डी चिकित्सा परिषद अधिनियम-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 -अनु. 10 डी-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रवेश विनियम-विनियमन। 9.

सी.

डी.

ई.

अपील/रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए**,** न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि **1.** एन**.** ई**.** ई**.** टी**.** योजना की शुरुआत का उद्देश्य और उद्देश्य स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था और स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश केवल एन**.** ई**.** ई**.** टी**.** परीक्षा में प्राप्त योग्यता और/या अंकों के आधार पर दिए जाने हैं।एन**.** ई**.** ई**.** टी**.** की

शुरुआत के आधार पर एकमात्र दायित्व यह है कि एक बार केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद, राज्य, इसकी एजेंसियां, विश्वविद्यालय और संस्थान स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं और ऐसी सीटें राज्य एजेंसियों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन. ई. ई. टी. परीक्षा में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता सूची तैयार करने के लिए भरी जानी हैं और इसलिए एन. ई. ई. टी. की शुरुआत करके, एम. सी. आई. अधिनियम की धारा **10** डी में संशोधन किया गया है।

एफ.

जी.

एच.

848

849

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य ए

परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, **2000** में संशोधन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल केंद्रीकृत परीक्षा, यानी एन. ई. ई. टी. के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किया जाता है। **[**पैरा **10.3] [858-**सी-जी**]**

बी.

2. इन परिस्थितियों में, एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत का "संस्थागत वरीयता" से कोई लेना-देना नहीं है।इसलिए, एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत से परिवर्तन संस्थागत वरीयता/आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्णयों में अनुमोदित किया जाता है।एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत की आड़ में, याचिकाकर्ताओं को संस्थागत वरीयता के संबंध में मुद्दे को फिर से उत्तेजित करने और/या फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अनुमोदित और निपटाया गया है।**[**पैरा **10] [859-**ए-सी**]**

सी.

3. इस प्रकार, **50** प्रतिशत की सीमा तक संस्थागत वरीयता को मंजूरी दी जाती है और यह माना जाता है कि एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत से ऐसी संस्थागत वरीयता/आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।**50** प्रतिशत संस्थागत वरीयता/आरक्षण प्रदान करने वाला ऐसा विनियमन किसी भी तरह से चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा **10** डी के अधिकार के बाहर नहीं

होगा। अन्यथा, संस्थागत वरीयता/आरक्षण के मामले में भी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा परिणाम में प्राप्त योग्यता और अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। **[**पैरा **12] [860-**ए-बी**]**

डी.

ई.

4. जहां तक यह सवाल है कि यदि **50** प्रतिशत सीटें राज्य कोटे के लिए आरक्षित हैं और यदि संस्थागत वरीयता/आरक्षण की अनुमति कुल खुली सीटों की संख्या के **50** प्रतिशत तक दी जाती है, तो उस स्थिति में राज्य कोटे में एक भी सीट उपलब्ध नहीं होगी, यह उचित प्राधिकरण/राज्य को विचार करना होगा कि संस्थागत वरीयता/आरक्षण के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी हैं।यह एक नीतिगत निर्णय के दायरे में होगा और यह न्यायालय इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जब तक कि इसे मनमाना और/या दुर्भावनापूर्ण और/या अनुमेय नहीं माना जाता है।**[**पैरा **11] [859-**सी**-**डी**-**एफ**]**

एफ.

जी.

सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ **2003 (11)** एससीसी

146 :[2003] 5 पूरक।एस. सी. आर. **152-**अनुसरण किया गया।

एच.

डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ **(1984) 3** एससीसी

654 :[1984] 3 एस. सी. आर. 942; एम्स छात्र संघ बनाम एम्स (2002) 1 एस. सी. सी. 428:[2001] 2 पूरक।एससीआर 79;

डी. एन. चंचला बनाम मैसूर राज्य **(1971) 2** एससीसी **293;** गुजरात विश्वविद्यालय बनाम राजीव गोपीनाथ भट्ट

(1996) 4 एससीसी **60:[1996] 2** पूरक।एससीआर **184;**

बी.

सौरभ द्विवेदी बनाम।भारत संघ **(2017) 7** एससीसी

626 :[2017] 4 एस. सी. आर. 286; दिनेश कुमार (डॉ.) (II) बनाम.

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज **(1986) 3** एससीसी **727:**

[1986] 3 एस**.** सी**.** आर**. 345-**पर निर्भर।

यू**.** पी**.** राज्य बनामदिनेश सिंह चौहान **(2016) 9** एससीसी

सी.

749 :[2016] 6 एस**.** सी**.** आर**. 571-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

[1984] 3 एससीआर **942**

उस पर भरोसा करें

पैरा **5.2**

[2003] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 152** ने पैरा **5.2 [2016] 6** एस**.** सी**.** आर**. 571** का अनुसरण किया।

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **6.2**

[2001] 2 पूरक।एससीआर **79**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

(1971) 2 एससीसी **293**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[1996] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 184** पैरा **9 [2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 286** पर निर्भर था।

ई.

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.1**

[1986] 3 एससीआर **345**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.3**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2019 की सिविल अपील संख्या 7939।

एफ.

2016 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 19918 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.02.2017 के निर्णय और आदेश से

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 122/2018,1479/2018 और 1142/2019

जी.

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव अग्रवाल, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्षित खांडुजा, हर्ष जैन और अभिनव देशवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

अजीत के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चारू माथुर, सुश्री हेमंतिका वाही, मितुल शलत, ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, रोहन ए.

एच.

851

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य ए

तलवार, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, पियो हैरोल्ड, सुश्री विशाखा, विभु शंकर मिश्रा, राजन कुमार चौरसिया, गोपाल झा, बी. वी. बलराम दास, गुरमीत सिंह मक्कर, पराग एम. श्रॉफ, सुश्री महिमा सी. श्रॉफ, सुश्री याशिका वर्मा, संतोष कुमार-I, सुश्री डॉली राजबाहयूर, सोहन सिंह, सुश्री तन्वी रेनो, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, पी. मोहन, हर्ष कौशिक, हर्ष प्रकाश, मोहिंदर जीत सिंह रूपा, कौशिक घोष, प्रांग एन., ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, संजीव कुमार चौधरी, अधिवक्ताउत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी गई है।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए "संस्थागत वरीयता" इन अपीलों/याचिकाओं में शामिल मुख्य मुद्दा है।

डी.

3. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिनांकित 12.09.2018 द्वारा पारित आदेश के अनुसार, इन सभी अपीलों/याचिकाओं को बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाता है।

4. गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या (आईडी2) में पारित किए गए विवादित निर्णय और दिनांक (आईडी1) के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा खंड पीठ ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित नियम 2,3,4.1 और 4.3 के अधिकार को बरकरार रखते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी ("संस्थागत आरक्षण" का प्रावधान), मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिका/अपील को प्राथमिकता दी है।इस प्रकार, मूल रिट याचिकाकर्ता स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" को चुनौती दे रहे हैं।

ई.

एफ.

4.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 1479 को याचिकाकर्ताओं द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "संस्थागत वरीयता" की नीति को भी चुनौती दी गई है।3 – दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रतिवादी नं।4 – गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय संबंधित है।इसी तरह की प्रार्थनाएं रिट याचिका (सी) संख्या. 122/2018 और रिट याचिका (सी) संख्या. 1142/2019 में भी की जाती हैं।

जी.

एच.

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" की नीति।

4.2 सुविधा के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 22.02.2017 के आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (C) संख्या 7003/2017 से उत्पन्न नागरिक अपील को एक प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित गुजरात विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियमों पर विचार किया जाता है।

बी.

5. गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 32 के साथ पठित धारा 39 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नियम बनाए हैं।प्रासंगिक नियम नियम 2,3,4.1,2 और 4.3 हैं, जो निम्नानुसार हैं:

सी.

"2.भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार, सरकारी संस्थान/कॉलेजों में प्रत्येक विषय में विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष में कुल उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों के रूप में भरा जाएगा।शेष सीटें नियम 4 के अनुसार गुजरात विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगी।गुजरात राज्य के भीतर अन्य वैधानिक विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र को नियम 4.3 के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार माना जाएगा।

डी.

ई.

3. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नियम 2 (और नियम 2) के बाद कुल सीटों का शेष 50 प्रतिशत (या अधिक) विश्वविद्यालय की "प्रवेश समिति" द्वारा भरा जाएगा।

एफ.

4.0 चयनःनियम 3 के तहत सीटों के लिए नियम 1 के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर श्रेणी और स्थिति के अनुसार किया जाएगा।

4.1 गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

जी.

4.2 हटा दिया गया।

4.3 नियम 4 के तहत तैयार की गई योग्यता सूची समाप्त होने के बाद गुजरात राज्य में स्थित किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।"

एच.

853

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

5.1 उपरोक्त नियमों के अनुसार, सरकारी संस्थान/कॉलेजों में प्रत्येक विषय में विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष में कुल उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा "अखिल भारतीय कोटा सीटों" के रूप में भरा जाएगा और शेष सीटों को विश्वविद्यालय के नियमों के नियम 4 के अनुसार भरा जाएगा।नियमों के नियम 3 के अनुसार,

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल सीटों का शेष 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय की "प्रवेश समिति" द्वारा भरा जाएगा।नियमों के नियम 4 के अनुसार, नियम 4 के तहत तैयार की गई योग्यता सूची समाप्त होने के बाद, गुजरात राज्य में स्थित किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।5.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने "संस्थागत वरीयता" प्रदान करने वाले पूर्व-उल्लिखित नियमों के अधिकारों को चुनौती दी-मुख्य रूप से इस आधार पर कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (इसके बाद 'एन. ई. ई. टी.' के रूप में संदर्भित) की शुरुआत और प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. में प्राप्त गुणों और अंकों के आधार पर दिए जाने हैं, "संस्थागत वरीयता" प्रदान करने वाले नियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत बनाए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 का उल्लंघन करेंगे। कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और डॉ. प्रदीप जैन बनाम यूनियन के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद।

बी.

सी.

डी.

भारत सरकार ने 1984 (3) एस. सी. सी. 654 में और सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ ने 2003 (11) एस. सी. सी. 146 में रिपोर्ट की और विचार करने के बाद

ई.

एन. ई. ई. टी. (पी. जी.) की योजना, उच्च न्यायालय ने "संस्थागत वरीयता" को धारण करने वाली उक्त याचिका को खारिज कर दिया है।इसलिए, वर्तमान अपील स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" की नीति को चुनौती देती है।

एफ.

6. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह सच है कि पहले-एन. ई. ई. टी. की शुरुआत से पहले, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" को अनुमत माना जाता है।हालांकि, एन. ई. ई. टी. की शुरुआत को देखते हुए, जो इस प्रभाव में बदलाव लाती है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. में योग्यता के आधार पर होने चाहिए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रवेश विनियम, 2000 के विनियम 9 के अनुसार, अब "संस्थागत वरीयता" की अनुमति नहीं होगी और यह चिकित्सा परिषद अधिनियम और विनियम, 2000 के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और एन. ई. ई. टी. की योजना के विपरीत होगा।

जी.

एच.

6.1 रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जिस उद्देश्य के कारण इस न्यायालय द्वारा इस तरह के "संस्थागत आरक्षण" की अनुमति दी गई थी, वह अब मौजूद नहीं है क्योंकि अब 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा मौजूद है और प्रवेश भी अखिल भारतीय परीक्षा-एन. ई. ई. टी. के आधार पर किया जाता है।

बी.

6.2 रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए एमसीआई विनियम, अर्थात् विनियम, 2000 भी "संस्थागत आरक्षण" की अनुमति नहीं देते हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमसीआई विनियमों को इस न्यायालय द्वारा एक पूर्ण संहिता माना गया है और इसलिए जब तक विनियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त के समर्थन में, इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

सी.

यू. पी. राज्य बनाम के मामले मेंदिनेश सिंह चौहान ने (2016) 9 एस. सी. सी. 749 में रिपोर्ट किया।

7. जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का संबंध है, संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि एमसीआई विनियमों के तहत, प्रवेश केवल दो सूचियों के माध्यम से किए जाने हैं, अर्थात, (i) "अखिल भारतीय योग्यता सूची" के आधार पर 50 प्रतिशत सीटें; और (ii) "राज्यवार सूची" के आधार पर 50 प्रतिशत सीटें भरी जानी हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो विश्वविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश एकीकृत "राज्य-वार सूची" पर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों विश्वविद्यालय दो अलग-अलग "विश्वविद्यालय-वार" सूचियां तैयार कर रहे हैं जो एमसीआई विनियमों के अनुसार नहीं हैं।

डी.

ई.

7.1 संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों विश्वविद्यालयों ने राज्य कोटा सीटों की 100% की सीमा तक "संस्थागत आरक्षण" प्रदान किया है, यानी, पूरा राज्य कोटा उनके पूर्व छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है जो अन्य राज्य उम्मीदवारों को चयन के अवसर से पूरी तरह से वंचित कर रहे हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एन. सी. टी. दिल्ली राज्य से एम. बी. बी. एस. स्नातक होने के कारण राज्य कोटा सीटों के तहत विचार किए जाने के हकदार हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में "संस्थागत आरक्षण" के

कारण, याचिकाकर्ता राज्य कोटे के तहत विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 100% "संस्थागत आरक्षण" की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, भले ही इसे अन्यथा अनुमेय माना जाए।

एफ.

जी.

एच.

855

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त) के मामले में, "संस्थागत वरीयता" कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे ऐसे समय में अनुमेय माना गया था जब राज्य के कॉलेजों में 100% सीटें राज्य द्वारा भरी गई थीं।यह है।

प्रस्तुत किया कि एम्स छात्र संघ बनाम एम्स के मामले में

बी.

(2002) 1 एस. सी. सी. 428 में सूचित, "संस्थागत आरक्षण" की अनुमति केवल 25 प्रतिशत की सीमा तक दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह

डॉ. सौरभ चौधरी (ऊपर) का मामला, "संस्थागत

50 प्रतिशत तक वरीयता की अनुमति दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही यह न्यायालय "संस्थागत वरीयता" की अनुमति देता है, उस मामले में, यह राज्य कोटा सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

सी.

9. इन सभी अपीलों/याचिकाओं का संबंधित राज्यों, संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं और एमसीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है। संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि, इस तरह, "संस्थागत वरीयता" को इस न्यायालय द्वारा 1971 से ही अनुमेय माना जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए "संस्थागत वरीयता" के संबंध में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

डी.

ई.

डी. एन. के मामलों में चंचला बनाम मैसूर राज्य ने (1971) 2 एस. सी. सी. 293 में रिपोर्ट किया; डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर); सौरभ चौधरी (ऊपर) के मामले में एक संविधान पीठ का फैसला; और गुजरात विश्वविद्यालय बनाम राजीव गोपीनाथ भट्ट ने (1996) 4 एस. सी. सी. 60 में रिपोर्ट किया।

यह प्रस्तुत किया जाता है इसलिए अब याचिकाकर्ताओं के लिए "संस्थागत वरीयता" के संबंध में इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए खुला नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि "संस्थागत वरीयता" निर्धारित करने वाले प्रासंगिक विनियम इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुरूप हैं।

एफ.

9.1 एमसीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने वर्तमान अपील/याचिकाओं का विरोध करते हुए जोर देकर कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश एन. ई. ई. टी. योग्यता के आधार पर किया जाता है और 50 प्रतिशत सीटें "अखिल भारतीय आधार" पर प्राप्त योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं और 50 प्रतिशत सीटें "राज्यवार आधार" पर प्राप्त योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले गुजरात विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता था

जी.

एच.

और अब गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह की परीक्षा के बजाय, योग्यता का निर्धारण एन. ई. ई. टी. परीक्षा परिणामों के आधार पर किया जाना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूचना बुलेटिन के अनुसार, उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटें हैं और शेष सीटें एन. ई. ई. टी.-पी. जी. स्कोर का उपयोग करके और लागू नियमों और/या पात्रता मानदंड, आरक्षण नीति आदि के अनुसार संस्थान स्तर पर राज्य सरकार या कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा भरी जानी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए, राज्य सरकार और सरकारी एजेंसी के लिए एन. ई. ई. टी. परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के बाद ऐसे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि

सामान्य परीक्षा के आयोजन से "संस्थागत वरीयता" की अयोग्यता नहीं हो सकती है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अनुमेय माना गया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. ई. ई. टी. के माध्यम से एक समान प्रवेश परीक्षा के बाद, धारा 10 डी के प्रावधान उन स्रोतों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं जिनसे स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश किए जाने हैं।

बी.

सी.

डी.

9.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील/रिट याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

ई.

10. इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या एन. ई. ई. टी. योजना शुरू होने के बाद भी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" की अनुमति होगी?

एफ.

10.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, इस तरह से, और यह विवाद में नहीं है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में इस तरह की "संस्थागत वरीयता" को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अनुमत माना जाता है, विशेष रूप से तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय; एक संविधान

जी.

सौरभ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का न्यायपीठ निर्णय;

और सौरभ द्विवेदी बनाम भारत संघ के मामले में (2017) 7 एस. सी. सी. 626 में रिपोर्ट किया गया।

10.2 डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर) के मामले में, यह देखा जाता है

और इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

एच.

857

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

“इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक एम. एस., एम. डी. और इसी तरह के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का संबंध है, राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करना विशेष रूप से वांछनीय होगा।लेकिन शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता के व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का आधार नहीं होगी, वर्तमान परिस्थितियों में कुछ प्रतिशत सीटें संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षित की जा सकती हैं, इस अर्थ में कि एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है, लेकिन संस्थागत वरीयता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।यह बाहरी सीमा जो हम तय कर रहे हैं, वह भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नीचे की ओर उसी तरह से संशोधन के अधीन होगी जैसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में हमारे द्वारा निर्देशित किया गया था।लेकिन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में भी, हम निर्देश देंगे कि जहां तक न्यूरो-सर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी का संबंध है, संस्थागत वरीयता के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रवेश विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय आधार पर योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

[10. 3 इसके बाद, सौरभ चौधरी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर) में बनाई गई "संस्थागत वरीयता" की योजना को दोहराया है और कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित "संस्थागत वरीयता" को मंजूरी दी है।उस निर्णय में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया

जी.

दिनेश कुमार (डॉ.) (II) बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मामले में निर्णय, (1986) 3 एस. सी. सी. 727 में रिपोर्ट किया गया

“25 प्रतिशत की सीमा तक संस्थागत वरीयता।हालाँकि, उक्त निर्णय पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त) में "संस्थागत वरीयता" प्रदान करने वाली योजना को दोहराया है।

खाली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित।सौरभ द्विवेदी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने फिर से "संस्थागत वरीयता" को मंजूरी दे दी है।इस प्रकार, 1971 से 2017 तक, लगातार इस न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में "संस्थागत वरीयता" को मंजूरी दी है और/या अनुमति दी है।

बी.

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत और एम. सी. आई. अधिनियम की धारा 10 डी को देखते हुए, जिसके द्वारा एन. ई. ई. टी. में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने हैं, इस तरह की "संस्थागत वरीयता" की अनुमति नहीं होगी।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एन. ई. ई. टी. की शुरुआत का किसी भी वरीयता/संस्थागत वरीयता से कोई लेना-देना नहीं है, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा बार-बार अनुमोदित "संस्थागत वरीयता" से।एन. ई. ई. टी. की शुरुआत का उद्देश्य और उद्देश्य स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा में प्राप्त योग्यता और/या अंकों के आधार पर दिए जाने हैं।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पहले गुजरात विश्वविद्यालय सहित संबंधित विश्वविद्यालय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करते थे और अब गुजरात विश्वविद्यालय/संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह की परीक्षाओं के बजाय, योग्यता का निर्धारण केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाता है और एन. ई. ई. टी. में प्राप्त ऐसी योग्यताओं या अंकों के आधार पर प्रवेश दिए जाने की आवश्यकता होती है। एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के आधार पर एकमात्र दायित्व यह है कि एक बार केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद, राज्य, इसकी एजेंसियां, विश्वविद्यालय और संस्थान स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं और ऐसी सीटें राज्य एजेंसियों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन. ई. ई. टी. परीक्षा में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता सूची तैयार करने के लिए भरी जानी हैं और इसलिए एन. ई. ई. टी., एम. सी. आई. अधिनियम की धारा 10 डी को लागू करके संशोधित किया गया है, परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया गया है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल केंद्रीकृत परीक्षा, यानी एन. ई. ई. टी. के आधार पर प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किया जाता है। 10. 4 राज्य कोटे/संस्थागत आरक्षण कोटे में प्रवेश देते समय भी प्रवेश ए पर दिए जाने की आवश्यकता होती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

859

यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

एन. ई. ई. टी. परीक्षा परिणामों के आधार पर निर्धारित योग्यता के आधार पर।इन परिस्थितियों में, एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत का "संस्थागत वरीयता" से कोई लेना-देना नहीं है।इसलिए, एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत से परिवर्तन संस्थागत वरीयता/आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्णयों, विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में अनुमोदित किया जाता है।एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत की आड़ में, याचिकाकर्ताओं को संस्थागत वरीयता के संबंध में मुद्दे को फिर से सक्रिय करने और/या फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अनुमोदित और निपटाया गया है, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित निर्णय।

बी.

सी.

11. अब जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि यदि 50 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे के लिए आरक्षित हैं और यदि संस्थागत वरीयता/आरक्षण की अनुमति कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत तक दी गई है, तो उस मामले में राज्य कोटे में एक भी सीट उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए संस्थागत वरीयता के प्रतिशत को 25 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक कम किया जा सकता है।इस न्यायालय का निर्णय

डी.

ई.

दिनेश कुमार (डॉ.) (II) (ऊपर) का मामला 25 प्रतिशत की अनुमति देता है।

सौरभ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा संस्थागत वरीयता को प्रतिष्ठित किया गया है।इसलिए, एक बार जब खुली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक संस्थागत वरीयता अनुमत हो जाती है, तो उस मामले में, यह उचित प्राधिकरण/राज्य पर होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि संस्थागत वरीयता/आरक्षण के लिए कितनी प्रतिशत

सीटें आरक्षित की जानी हैं।यह एक नीतिगत निर्णय के दायरे में होगा और यह न्यायालय इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जब तक कि इसे मनमाना और/या दुर्भावनापूर्ण और/या अनुमेय नहीं माना जाता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, सौरभ चौधरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत तक संस्थागत वरीयता/आरक्षण को स्पष्ट रूप से अनुमति/अनुमति/मंजूरी दी है।

एफ.

जी.

12. इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों और डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करने के लिए;

एच.

सौरभ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय

चौधरी (ऊपर); और सौरभ द्विवेदी (ऊपर), संस्थागत

50 प्रतिशत की सीमा तक वरीयता को मंजूरी दी जाती है और यह माना जाता है कि एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत से ऐसी संस्थागत वरीयता/आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।50 प्रतिशत संस्थागत वरीयता/आरक्षण प्रदान करने वाला ऐसा विनियमन किसी भी तरह से एमसीआई अधिनियम की धारा 10 डी के अधिकार के बाहर नहीं होगा। अन्यथा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, संस्थागत वरीयता/आरक्षण के मामले में भी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा परिणाम में प्राप्त योग्यता और अंकों के आधार पर दिए जाने हैं।उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, ये सभी अपील/रिट याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।कोई लागत नहीं।

बी.

सी.

कल्पना के. त्रिपाठी

मामले खारिज कर दिए गए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.